राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 276/2024
(अपील संख्या – 2710/2023)

सरोज वर्मा

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, सचिवालय, जयपुर।
2. श्री राकेश शर्मा, निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. डॉ. नवनीत शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
4. डॉ. सुनील अग्रवाल इनचार्ज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिलीबगा, जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.12.2024
आदेश की दिनांक : 09.10.2025

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार, अभिभाषक
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि प्रार्थी–अपीलार्थी की अपील संख्या 2710/2023 सरोज वर्मा बनाम चिकित्सा विभाग आदि में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2023 की अवहेलना करने पर विपक्षी को कारावास की सजा करने की कृपा करें। उनका आगे कथन है कि अपील संख्या 2710/2023 में निर्णय दिनांक 10.10.2023 में पदस्थापित करने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी द्वारा विकल्प पत्र में दर्शाये गये स्थान में से रिक्त पद होने की स्थिति में विकल्पानुसार किसी भी एक स्थान पर 7 दिवस में पदस्थापित आदेश जारी करें। दिनांक 10.12.2024 को

एक अभ्यावेदन पेश किया गया और सीएचसी, जैतसर में पदस्थापित करने हेतु दिनांक 16.10.2023 को अभ्यावेदन निदेशक, जयपुर को प्रस्तुत किया गया। परंतु अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.10.2023 के निर्णय की जानबूझकर अवहेलना की गई है।

अतः अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अवमानना प्रार्थना पत्र अपील संख्या 2710/2023 सरोज वर्मा बनाम चिकित्सा विभाग आदि में निर्णय दिनांक 10.10.2023 की अवहेलना करने पर विपक्षी को कारावास की सजा से दण्डित करने की कृपा करें।

अप्रार्थी–प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अवमानना प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से बहस की है कि प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 2710/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 की पालना के संबंध में प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र 276/2024 के क्रम में विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश दिनांक 10.10.2023 की पालना के संबंध में आदेश दिनांक 24.12.2024 जारी कर अधिकरण के आदेश की पालना की जा चुकी है। अतः उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 निष्फल (infructuous) घोषित किया जावे।

प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा संशोधित अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 अपील संख्या 3956/2024 सरोज वर्मा बनाम श्रीमान् गायत्री राठौड प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3956/2024 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2024 की अवहेलना करने पर विपक्षी को कारावास की सजा से दण्डित करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि आदेश 6 नियम 17 सीपीसी दावा में संशोधन संबंधित नियम दिया गया है। अपील, रिट याचिका, अवमानना याचिका में संशोधन करने संबंधी कानून व प्रावधान है। अपील के वादग्रस्त तथ्य भी समान है। अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 अपील संख्या 3956/2024 में दिनांक 08.04.2025 को संशोधित अवमानना याचिका पेश की गई है। उनका यह भी कथन है कि अपील में निर्णय दिनांक 20.12.2024 की पालना विभाग

द्वारा नहीं की जा रही है। इसलिये पालना नहीं करने के कारण संशोधित अवमानना प्रार्थना पत्र को उच्च न्यायालय में रैफर करने की कृपा करें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की अवमानना प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अनुशीलन कर मनन किया।

प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 अपील संख्या 2710/2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.10.2023 की पालना विभाग द्वारा नहीं किये जाने पर प्रत्यर्थीगण को दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई। अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 अपील संख्या 2710/2023 में अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.10.2023 की पालना में विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.12.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकरण के आदेश दिनांक 10.10.2023 की पालना की जा चुकी है और इस प्रकार प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 में अपील संख्या 2710/2023 का निष्फल (infructuous) होने पर ड्रॉप किये जाने योग्य है।

जहां तक प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा संशोधित अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 अपील संख्या 3956/2024 में अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.12.2024 की विभाग द्वारा अवहेलना किये जाने पर दण्डित किये जाने का प्रश्न है, सीपीसी के नियम 6 के नियम 17 के प्रावधानानुसार दावा/अपील/अवमानना प्रार्थना पत्र में संशोधन किये जाने का प्रावधान है। परंतु इस प्रकरण में प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 अपील संख्या 2710/2023 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2023 की अवहेलना के संबंध में प्रस्तुत किया गया है और इसी अवमानना संख्या 276/2024 में संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 ही अपील संख्या 3956/2024 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2024 की अवहेलना के संबंध में भी प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार पृथक–पृथक अपील में पारित पृथक–पृथक निर्णय की अवहेलना के संबंध में एक ही अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 प्रस्तुत किया जाना नियम/विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार अवमानना संख्या

276/2024 अपील संख्या 2710/2023 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2023 की अवहेलना के संबंध में अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये संशोधित अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 3956/2024 में अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 की पालना नहीं किये जाने से अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 (2710/2023) में अवमानना प्रार्थना पत्र में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम/विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

अपील संख्या 2710/2023 में जारी आदेश दिनांक 10.10.2023 की पालना विभाग द्वारा किये जाने पर अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 276/2024 निष्फल (infructuous) हो जाने पर ड्रॉप किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य